समयबद्ध/महत्वपूर्ण
संख्या:3491/नौ–5–19–360सा/17

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(नगरी),
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर, 2019

विषय:– अयोध्या नगर निकाय में CSOs–आधारित सीवर गृह संयोजन के कार्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3897/नौ–5–2017–360सा/2016 दिनांक 10.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मिशन निदेशक (अमृत)/मिशन निदेशक (एस0बी0एम0) के साथ मण्डल स्तर पर कार्य करने हेतु 06 Mothers CSOs एवं जनपद स्तर पर 29 CSOs/संस्थाओं का चयन किया गया है।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–अयोध्या के नगरीय निकायों में सीवर गृह संयोजन के कार्य के अन्तर्गत IEC तथा लाभार्थियों के Behavioral Change Management हेतु हरिजन सेवक संघ, 3004, हैरिटेज अपार्टमेन्ट, 5–पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश को CSOs के रूप में आबद्ध किया जाता है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक– उपरोक्तनुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3–जिलाधिकारी, अयोध्या।
4–नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या–फैजाबाद।
5–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, अयोध्या।
6–अध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ, 3004, हैरिटेज अपार्टमेन्ट, 5–पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश।
7–कम्प्यूटर सेल, गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

GO-Tiwari-2017